उप विकास आयुक्त के गोपनीय कार्यालय, मधेपुरा

–:आदेश:–

श्री विधानंद कुमार, पिता– श्री जगदीश सिंह पिछड़ा वर्ग द्वारा जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सम्बोधित आवेदन पत्र में जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 में कतिपय अभ्यर्थियों पर आपत्ति दर्ज की गई है। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा जिला परिषद मधेपुरा में अपने अंक बढाकर आवेदन दिया गया है जिस कारण मेधा सूची में उनका नाम आवेदक से उपर हो गया है। आवेदन के साथ सहरसा एवं पूर्णियां जिला के मेधा सूची की छाया प्रति संलग्न की गयी है।

उक्त आवेदन के आलोक में मधेपुरा जिला परिषद, सहरषा जिला परिषद एवं पूर्णियां जिला परिषद के संबंधित जिला के वेवसाईट पर प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची से मिलान कराया गया। जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आया–

क्र0	अभ्यर्थियों का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	एस टी ई टी क्रमांक	मधेपुरा		सहरसा		पूर्णियां	
					मेधा क्रम	मेधा अंक	मेधा क्रम	मेधा अंक	मेधा क्रम	मेधा अंक
1	रवि शंकर कुमार झा	कमल किशोर झा	02.11.88	1406110412	13	77.68	1158	66.85	994	66.85
2	राजीव कुमार	विजेन्द्र प्र0 यादव	01.05.86	1505110270	18	77.12	1963	64.17		
3	दीपक कुमार	राज किशोर यादव	06.01.90	1502110112	19	76.77			1501	65.05
4	संजय कुमार	सुखदेव यादव	15.09.84	1505110904	34	75.66	2279	62.86		
5	विजय कुमार	नागेश्वर यादव	10.02.83	1506110531	27	76.01	1295	66.37		
6	दिलीप कुमार	अरविन्द प्र यादव	31.03.84	1502110205	41	75.37	2615	61.17		
7	अशोक कुमार	रघुनंदन यादव	16.11.89	1501110607	42	75.35	2980	56.24	1294	65.74
8	कुमार चन्द्रशेखर	कृत्यानंद यादव	06.04.83	1503110069	51	74.94	839	67.87		
9	रंजीत कुमार	प्रदीप कुमार नायक	04.06.88	1505110497	50	74.89	1653	65.25	1465	65.25
10	राजीव कुमार	अभिनंदन यादव	06.12.87	1505110145	31	75.79	407	69.54		
11	पंकज कुमार	विजेन्द्र प्र यादव	25.04.85	1504110251	4	79.44	129	72.3		
12	मिथिलेश कुमार	राम ना0 यादव	27.01.87	1503510763	9	78.93	861	67.76		

इन औपबंधिक मेधा सूची के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इन अभ्यर्थियों के द्वारा जानबुझकर अपने अंक को बढ़ाकर जिला परिषद मधेपुरा में आवेदन पत्र जमा किया गया है। इसलिए इन सभी अभ्यर्थियों के गृह पता पर सूचित किया जाय कि यदि उनके द्वारा इसी अंक पत्र को सही दर्शाया जाता है तो अंक पत्र की छायाप्रति नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराकर जमा करना सुनिश्चित करेंगें। अन्यथा इनके आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा एवं जॉचोपरान्त प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

09.01.2017

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।

गो0 ज्ञापांक 07 / गो0, जि0ग्रा0वि0अभि0, मधेपुरा / दिनांक 09/01/2017

प्रतिलिपि– उक्त वर्णित सभी 12 अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि 03 (तीन) दिनों के अंदर अपने सभी मुल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के साथ जिला परिषद कार्यालय, मधेपुरा में उपस्थित होकर अंक पत्र की छाया प्रति जो कि नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो जमां करना सूनिश्चित करेंगें। अन्यथा आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा एवं जॉचोपरान्त प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0 मधेपुरा को इस आदेश को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, जिला परिषद मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

09.01.2017

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।